बौद्धिक सम्पदा अधिकार

एक बहुत ही सुहानी सुबह में जब मैं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के प्रांगण में व्यवसाय विकास प्रभाग की ओर जा रही थी, तब एक कर्मचारी ने मुझसे पूछा "महोदया, आजकल आप प्रशासन विभाग में दिखाई नहीं देतीं ?" तब मैंने, हँसकर कहा, "मैं आजकल व्यवसाय विकास प्रभाग में बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर कार्य कर रही हूँ।" कर्मचारी के चेहरे पर एक प्रश्नचिह्न दिखाई दिया और उसने पूछा कि यह बौद्धिक संपदा अधिकार और पेटेंण्ट क्या चीज है ? तभी मैंने सोचा कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार को मात्र वैज्ञानिकों तक ही सीमित न रखकर मैं अपने लेख के माध्यम से उसे जनसाधारण तक पहुँचाऊँगी।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार क्या है ?

यह एक कानूनी विशिष्ट एकाधिकार है जो मानव मस्तिष्क से उत्पन्न किसी संकल्पना को दिया जाता है। जैसे हमें अपने घर, गाड़ी, सम्पत्ति के लिए अधिकार दिया जाता है उसी तरह जब कोई वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है, या कोई लेखक नई पुस्तक लिखता है, या कोई कंपनी कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित करती है और फिर इन सब खोजों के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ होता है, या कोई व्यावसायिक कीमत प्राप्त होती है, तब इस कीमत का हकदार वही होता है जिसकी बुद्धि इस संकल्पना को जन्म देती है और इस तरह वही इस बौद्धिक सम्पदा का अधिकार प्राप्त करता है।

सम्पदा या सम्पत्ति शब्द का प्रयोग बौद्धिक सम्पदा में क्यों किया गया है ?

बौद्धिक सम्पदा अर्थात बुद्धि या मस्तिष्क की कृति सम्पत्ति के समान ही है। ऐसी सम्पत्ति जो बुद्धि की कृति के कारण प्राप्त होती है। मान लीजिए कि मैंने किसी संगीत की रचना की जो कि नवीनतम खोज है और उस संगीत के आधार पर किसी कंपनी ने कैसेट बनाए जिसकी वह बिक्री करना चाहती है। तब कंपनी उस संगीत के अधिकार के लिए मुझे पैसे देगी और यह विशेष धुन या संगीत मेरे लिए एक बौद्धिक संपदा बन जाएगी क्योंकि वह मेरी ही मस्तिष्क की उपज है। जिस तरह कोई वैज्ञानिक नैनो-पार्टिकल से संबंधित खोज करता है और इस टेक्नोलॉजी को विकसित करके किसी कंपनी को आर्थिक या व्यवसायिक लाभ हो सकता है, तब सर्वप्रथम वैज्ञानिक को अपनी खोज के बारे में कानूनी अधिकार प्राप्त करना होगा जिसके लिए उसे पेटेण्ट (एकस्व) फाइल करना होगा। इसके बाद वह अपना अधिकार किसी कंपनी को लाइसेन्स के तौर पर बेच सकता है। चूँकि बुद्धि की यह खोज सम्पत्ति की तरह बेची और खरीदी जा सकती है, इसलिए हम इसे बौद्धिक सम्पदा कहते हैं।

बौद्धिक सम्पदा के अधिकार की आवश्यकता क्यों है ?

इसकी आवश्यकता अन्वेषणकर्ता के मौलिक आविष्कार की रक्षा करने के लिए महसूस की गई है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के पीछे मौलिक संकल्पना यह है कि किसी की मौलिक खोज को कोई अन्य चुरा न ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मशीन की एक डिज़ाइन बनाता है और वह उसका बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्राप्त नहीं करता। अब कोई अन्य

सुश्री चन्दना सॅंयबर्धन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे – 411 008

व्यक्ति इसी डिज़ाइन की मशीन बनाकर, उसे बाजार में बेच कर धन कमाता है और मौलिक आविष्कारक देखता रह जाता है। यह कानूनन उचित नहीं है। अतः इसी परिस्थिति से बचने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार की संकल्पना की गई है। इससे आविष्कारक सुरक्षित महसूस करता है और नित नए-नए आविष्कार के लिए बुद्धि उसे प्रेरित करती है। उसे रॉयल्टी के माध्यम से धन प्राप्त होता है। इस प्रकार आविष्कार को सुरक्षित रखने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार अति आवश्यक है।

आविष्कारक के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार का महत्त्वपूर्ण होना :

बौद्धिक संपदा विभिन्न तरह की होतीं है। आविष्कारकों के लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि किन कारणों से बौद्धिक सम्पदा अधिकार महत्त्वपूर्ण है :-

1) यह आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पेटेण्टों का लाइसेन्स प्राप्त करना आर्थिक उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी शोध का उपयोग अगर कोई कंपनी करना चाहती है तो वह आविष्कारक से अधिकार प्राप्त करने के लिए उसका लाइसेन्स प्राप्त करती है। इससे व्यक्तिगत लाभ तो होता ही है, साथ ही उस व्यक्ति या आविष्कारक से जुड़ी संस्था को नाम भी मिलता है और संस्था को उस आविष्कार से जुड़े हर पहलू के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल हो जाती है। उस धन से नये प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं और उन्नतिशील अवसंरचना की व्यवस्था भी हो सकती है। एन. सी. एल. अपने पेटेण्टों के कारण सी. एस. आई. आर. में महत्त्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है।

2) बौद्धिक सम्पदा अधिकार शोध कार्य के डुप्लीकेशन अर्थात कार्य के दोहराने को रोक सकता है। पेटेण्ट के डेटाबेस में जाकर यह देखा जा सकता है कि अमुक क्षेत्र में अमुक आविष्कार हो चुके हैं। इससे समय और धन की बचत हो सकती है।

3) बौद्धिक सम्पदा अधिकार और पेटेण्टों के फाइल करने में एक महत्त्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आविष्कारकों के सभी अनुसंधान कार्य सार्थक होंगे। वे यह देखेंगे कि इस शोध या अनुसन्धान से समाज को क्या लाभ है। इस शोध से व्यावसायिक लाभ क्या है। इस अनुसन्धान का आज के वैश्वीकरण में एक महत्त्वपूर्ण स्थान होना चाहिए।

अनुसन्धान से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होनी चाहिए। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के तहत पेटेण्ट डेटाबेस में जाने से पता चलेगा कि सामयिक अनुसंधान की स्थिति क्या है। क्या शोध करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए।

4) किसी भी अनुसन्धानकर्ता द्वारा किए गए नवीनतम अनुसंधान का दुरुपयोग नहीं होगा।

उदाहरणस्वरुप गाँव का एक किसान खेती के लिए किसी नए रासायनिक उत्पाद का आविष्कार करता है पर उसे यह नहीं पता है कि उसका यह उत्पाद बाजार में बिक सकता है। परिणामस्वरूप उसकी इस अनभिज्ञता का जमींदार फायदा उठाता है। वह उसे बहुत कम कीमत में खरीदकर और खुद के नाम पर पेटेण्ट फाइल कर बड़ी मात्रा में धनार्जन करता है। इसलिए साधारण से साधारण व्यक्ति को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में जानना चाहिए। इससे नवीन शोधों की चोरी नहीं होगी और लाचार तथा असहाय शोधकर्ता का मानसिक शोषण नहीं होगा।

5) बौद्धिक संपदा अधिकार इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आविष्कारक आपस में कानून का अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे। आविष्कार को लेकर मुकदमेबाजी नहीं होगी। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के तहत वैज्ञानिक एक दूसरे के आविष्कार को सम्मान देंगे और यह तय कर पायेंगे कि कहीं हमारा अनुसन्धान कानून

का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है ? विशेषतः व्यावसायिक धरातल पर यह अमान्य तो नहीं है।

6) बौद्धिक सम्पदा अधिकार के तहत हमें नई प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्राप्त होता है। पेटेण्ट ही एकमात्र प्रौद्योगिकी के स्रोत हैं। यह ज्ञान हमें डेटाबेस के माध्यम से प्राप्त होता है। भले ही इस सम्बन्ध में कई वैज्ञानिक पत्र - पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हों परन्तु एक देश में पेटेण्ट डेटाबेस एक ही होता है।

एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या बौद्धिक सम्पदा अधिकार नवीन शोध के लिए बाधक है ? मैंने उनसे कहा, ऐसा कतई नहीं है क्योंकि किसी भी नवीन शोधकर्ता को पुराने पेटेण्टों से अपने शोध में मदद मिलती है। वस्तुतः बौद्धिक सम्पदा अधिकार के तहत नए शोध को एक सुरक्षा ही मिलती है।

अन्त में मैं यही कहूँगी कि 21 वीं सदी में जहाँ नित्य नई संकल्पनाएँ पैदा हो रहीं हैं चाहे वे विज्ञान के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में, बौद्धिक सम्पदा अधिकार का महत्त्व अक्षुण्ण है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। आज के वैज्ञानिक युग में आविष्कारों का उपयोग अगर व्यावसायिक स्तर पर हो तो 21 वीं सदी का मानव समाज एक नए आयाम को प्राप्त कर सकेगा।

❖❖❖❖❖